राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– पदमपुरा

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 154 सन 2016

अनवान :–

1. लालचन्द 2 भूराराम 3 कृष्ण उर्फ किशन 4 महेन्द्र पि0 मुखराम पुत्र गणेशाराम जति जाट साकिन चक 4 आरपीएम जसाना तहसील नोहर ।

सायल

बनाम

1. ामप्रताप 2 ओमप्रकाश 3 प्रेमसिह पुत्र हरपत जाति जाट साकिन 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विमला पुत्री हरपत जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम जसाना तहसील नोहर।
5. देवीलाल 6 सुलतान 7 महेन्द्र पि0 हरलाल पुत्र हरपत जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
8. सन्तोष 9. सरस्वती 10 इन्द्रा पुत्रिया हरलाल पुत्र हरपत जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
12. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता सायल ान
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि कानाराम पुत्र तारा जाति जाट साकिन जसाना के पास खसरा न0 142 की 10.15 बीधा, खसरा न0 317/31.05 बीधा कुल 43.00 बीधा भूमि थी कानाराम पुत्र तारा के देहान्त होने पर उसके दो लडके हरपत गणपत पि0 कानाराम बहिब 2/3 हिस्सा व कानाराम के पौत्र मुखराम पुत्र गणेशाराम 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई।

कानाराम पुत्र पुरा का देहान्त हो गया है जिसके तीन पुत्र गणेशाराम , हरपत , गणपत हुए तीनों फो हो चुके है गणेशाराम के एक लडका मुखराम फोत हो चुका है तथा मुखराम के वारिसान सायलान0 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 ता 25 है गणपत पुत्र कानाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 कमला , चावली तीन लडकीया हुई कमला का वारिस प्रतिवादी संख्या 15 है चावली के वारिस प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 है हरपत के वारिस गैरसायल न0 1 ता 4 है गणतप का पुत्र हरलाल का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान गैरसायल न0 5 ता 10 है।

कानाराम पुत्र तारा की वाद भूमि वर्तमान में चक 4 आरपीएम के 304/382(16) किला न0 25 प0न0 305/382(17) किला न0 18 ता 23 प0न0 305/383(20) किला न0 1 ता 3 में परिर्वतन व पैमुद हो चुकी है। जिसमें हरपत गणपत पि0 काना हर दो बहिस्सा बराबर दो तिहाई तथा मुखराम पुत्र गणेशाराम एक तिहाई दर्ज हुई।

सायलान व गैरसायलान न0 1 ता 10 व दावा के प्रतिवादीगण के पूर्वज हरपत गणपत पुत्र कानाराम , मुखराम पुत्र गणेशाराम के पास अपने पिता की भूमि के अलावा अन्य 22–22 बीधा भूमि प्रत्येक को आवंटन हुई जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

कानाराम पुत्र तारा के फोत होन के पश्चात उसके दो पुत्रों हरपत व गणपत व उसके मृतक पुत्र गणेशाराम के पुत्र मुखराम पर बहिस्सा बराबर औद हुई वह खाता संख्या 162/133 प0न0 304/382(16) किला न0 25/0.2277 ,प0न0 305/382(17) किला न0 18 ता 23 प्रत्येक 0.253हैक प0न0 305/303(20) किला न0 1 ता 3 प्रत्येक 0.253 चक 4 आरपीएम है जिसमें सायलान न0 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 ता 15 का अपने पिता मुखराम के स्थान पर 1/3 हिस्सा के खातेदार है इसी प्रकार मृतक हरपत की जगह

उसके वारिसान गैरसायल न0 1 ता 10 खातेदार काश्तकार है तथा गणपत के वारिसान गैरसायल न0 11 ता 18 खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल न0 1 ता 10 का पिता हरपत काफी तेज तर्रार व्यक्ति था उसने अमला माल के साथ साजिस कर पैमाईश में अपनी आवंटन शुद्वा भूमि 22.00 चक 4 आरपीएम के साथ सायलान के दादा कानाराम की खातेदारी भूम के साथ सम्मलित कर अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली उसके पश्चात गैरसायलान न0 1 ता 3 व मृतक हरलाल पुत्र हरतप के वारिसान गैरसायला न0 5 ता 10 ने अपने नाम दर्ज करवा ली जिनको अकेलों के नाम दर्ज करवा पाने का अधिकार नही था भू0प्रबन्ध के अधिकारी इस प्रकार वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 ता 10 के पिता के नाम दर्ज करने का अधिकार नही था इसलिये सायलान जमाबन्दी दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में दर्ज भूमि सायलान के पडदादा के समय की पुरानी खातेदारी भूमि है जिसे गैरसायलान न0 1 ता 3 ने नियम विरूद्व अपने नाम दर्ज करवा रखी है जिसमें सायलान 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 ता 25 ग्यारहों बहिब 1/3 हिस्सा , तथा गैरसायल न0 1 ता 10 दसों का 1/3 हिस्सा , तथा गैरसायाल न0 1 ता 4 चारो का 4/5 हिस्सा , गैरसायल न0 5 ता 10 छहो का 1/5 हिस्सा के तथ प्रतिवादी संख्या 11 ता 18 आठो का 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तका है जिसमें प्रतिवादी न0 11 ता 14 चारो बहिब 4/6 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 15 अकेली 1/6 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम से गलत तौर से दर्ज होने का फायदा उठा कर सायलान को उनके हकों से महरूम रखने के लिये कभी भी वाद भूमि का बेचान कर सकते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की वह वाद के निस्तारण तक वाद भूमि को रहन बैय नही करे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

चक 4 आरपीएम के प0न0 304/382(16) किला न0 16 ,25 प0न0 305/382(17) किला न0 18 ता 23 , प0न0 305/382 (20) किला न0 1 ता 3 कुल 11.00 बीधा भूमि थी जिसमें से हरपत गणपत पि0 काना हर दो बहिब दो तिहाई तथा मुखा पुत्र गणेशा ने एक तिहाई भूमि थी उक्त 11.00 बीधा भूमि में से गणपत पुत्र कानाराम , मुखाराम पुत्र गणेशाराम ने अपने समस्त हक हिस्सा की भूमि को बैयनामा दिनांक 07.09.1963 को हरपत पुत्र कानाराम को करवा दिया था जिसके कारण हरपत पुत्र कानाराम उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया। एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के प0न0 303/382(15) किला न0 16 ,17 ,24 ,25 प0न0 304/382(16) किला न0 17 ता 19 ,21 ता 24 व प0न0 304/383 (21) किला न0 1 ता 10 प0न0 304/383 (22) किला न0 5 ,6 कुल 22.00 बीधा भूमि हरपत पुत्र कानाराम को डीसीसी हनुमानगढ के द्वारा दिनांक 25.07.1961 को आवंटन शुद्वा है जिसकी समस्त किश्ते जमा करवाने के वाद बतौर खातेदार काश्ताकर दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो हरपत के देहान्त होने पर गैरसायलान संख्या 1 ता 3 व गैरसायलान न0 5 ता 10 के पिता मृतक हरलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है सायलान के पडदादा के नाम की भूमि को गैरसायलान के नाम भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा दर्ज नही किया गया है सायलान ने प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों के आधार पर पेश किया गया है हरपत की भूमि में सायलान किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही हरपत के वारिसान गैरसायलान जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वाद भूमि को बेचान करने का कोई इरादा नही है सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को रगत देने के लिये अंकित किये गये है सायलान को प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जबाब पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कानाराम पुत्र तारा जाति जाट साकिन जसाना के पास खसरा न0 142 की 10.15 बीधा, खसरा न0 317/31.05 बीधा कुल 43.00 बीधा भूमि थी कानाराम पुत्र तारा के देहान्त होने पर उसके दो लडके हरपत गणपत पि0 कानाराम बहिब 2/3 हिस्सा व कानाराम के पौत्र मुखराम पुत्र गणेशाराम 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई।

कानाराम पुत्र पुरा का देहान्त हो गया है जिसके तीन पुत्र गणेशाराम , हरपत , गणपत हुए तीनों फो हो चुके है गणेशाराम के एक लडका मुखराम फोत हो चुका है तथा मुखराम के वारिसान सायलान0 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 ता 25 है गणपत पुत्र कानाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 कमला , चावली तीन लडकीया हुई कमला का वारिस प्रतिवादी संख्या 15 है चावली के वारिस प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 है हरपत के वारिस गैरसायल न0 1 ता 4 है गणतप का पुत्र हरलाल का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान गैरसायल न0 5 ता 10 है।

कानाराम पुत्र तारा की वाद भूमि वर्तमान में चक 4 आरपीएम के 304/382(16) किला न0 25 प0न0 305/382(17) किला न0 18 ता 23 प0न0 305/383(20) किला न0 1 ता 3 में परिर्वतन व पैमुद हो चुकी है। जिसमें हरपत गणपत पि0 काना हर दो बहिस्सा बराबर दो तिहाई तथा मुखराम पुत्र गणेशाराम एक तिहाई दर्ज हुई।

सायलान व गैरसायलान न0 1 ता 10 व दावा के प्रतिवादीगण के पूर्वज हरपत गणपत पुत्र कानाराम , मुखराम पुत्र गणेशाराम के पास अपने पिता की भूमि के अलावा अन्य 22–22 बीधा भूमि प्रत्येक को आवंटन हुई जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

कानाराम पुत्र तारा के फोत होन के पश्चात उसके दो पुत्रों हरपत व गणपत व उसके मृतक पुत्र गणेशाराम के पुत्र मुखराम पर बहिस्सा बराबर औद हुई वह खाता संख्या 162/133 प0न0 304/382(16) किला न0 25/0.2277 ,प0न0 305/382(17) किला न0 18 ता 23 प्रत्येक 0.253हैक प0न0 305/303(20) किला न0 1 ता 3 प्रत्येक 0.253 चक 4 आरपीएम है जिसमें सायलान न0 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 ता 15 का अपने पिता मुखराम के स्थान पर 1/3 हिस्सा के खातेदार है इसी प्रकार मृतक हरपत की जगह उसके वारिसान गैरसायल न0 1 ता 10 खातेदार काश्तकार है तथा गणपत के वारिसान गैरसायल न0 11 ता 18 खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल न0 1 ता 10 का पिता हरपत काफी तेज तर्रार व्यक्ति था उसने अमला माल के साथ साजिस कर पैमाईश में अपनी आवंटन शुद्वा भूमि 22.00 चक 4 आरपीएम के साथ सायलान के दादा कानाराम की खातेदारी भूम के साथ सम्मलित कर अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली उसके पश्चात गैरसायलान न0 1 ता 3 व मृतक हरलाल पुत्र हरतप के वारिसान गैरसायला न0 5 ता 10 ने अपने नाम दर्ज करवा ली जिनको अकेलों के नाम दर्ज करवा पाने का अधिकार नही था भू0प्रबन्ध के अधिकारी इस प्रकार वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 ता 10 के पिता के नाम दर्ज करने का अधिकार नही था इसलिये सायलान जमाबन्दी दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में दर्ज भूमि सायलान के पडदादा के समय की पुरानी खातेदारी भूमि है जिसे गैरसायलान न0 1 ता 3 ने नियम विरूद्व अपने नाम दर्ज करवा रखी है जिसमें सायलान 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 ता 25 ग्यारहों बहिब 1/3 हिस्सा , तथा गैरसायल न0 1 ता 10 दसों का 1/3 हिस्सा , तथा गैरसायाल न0 1 ता 4 चारो का 4/5 हिस्सा , गैरसायल न0 5 ता 10 छहो का 1/5 हिस्सा के तथ प्रतिवादी संख्या 11 ता 18 आठो का 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तका है जिसमें प्रतिवादी न0 11 ता 14 चारो बहिब 4/6 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 15 अकेली 1/6 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम से गलत तौर से दर्ज होने का फायदा उठा कर सायलान को उनके हकों से महरूम रखने के लिये कभी भी वाद भूमि का बेचान कर सकते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की वह वाद के निस्तारण तक वाद भूमि को रहन बैय नही करे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की चक 4 आरपीएम के प0न0 304/382(16) किला न0 16 ,25 प0न0 305/382(17) किला न0 18 ता 23 , प0न0 305/382 (20) किला न0 1 ता 3 कुल 11.00 बीधा भूमि थी जिसमें से हरपत गणपत पि0 काना हर दो बहिब दो तिहाई तथा मुखा पुत्र गणेशा ने एक तिहाई भूमि थी उक्त 11.00 बीधा भूमि में से गणपत पुत्र कानाराम , मुखाराम पुत्र गणेशाराम ने अपने समस्त हक हिस्सा की भूमि को बैयनामा दिनांक 07.09. 1963 को हरपत पुत्र कानाराम को करवा दिया था जिसके कारण हरपत पुत्र कानाराम उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया। एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के प0न0 303/382(15) किला न0 16 ,17 ,24 ,25 प0न0 304/382(16) किला न0 17 ता 19 ,21

ता 24 व प0न0 304/383 (21) किला न0 1 ता 10 प0न0 304/383 (22) किला न0 5 ,6 कुल 22.00 बीधा भूमि हरपत पुत्र कानाराम को डीसीसी हनुमानगढ के द्वारा दिनांक 25. 07.1961 को आवंटन शुद्वा है जिसकी समस्त किश्ते जमा करवाने के वाद बतौर खातेदार काश्ताकर दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो हरपत के देहान्त होने पर गैरसायलान संख्या 1 ता 3 व गैरसायलान न0 5 ता 10 के पिता मृतक हरलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है सायलान के पडदादा के नाम की भूमि को गैरसायलान के नाम भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा दर्ज नही किया गया है सायलान ने प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों के आधार पर पेश किया गया है हरपत की भूमि में सायलान किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही हरपत के वारिसान गैरसायलान जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वाद भूमि को बेचान करने का कोई इरादा नही है सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को रगत देने के लिये अंकित किये गये है सायलान को प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 3 व गैरसायलान न0 5 ता 10 के पिता मृतक हरलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सायलान का कथन है की उसके दादा कानाराम वल्द तारा के देहान्त होने पर विधि विरूद्व रूप से सायलान या उसके पूर्वजों के हक हिस्सा की भूमि को गैरसायलान के पूर्वजों ने अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि गैरसायलान का कथन है उनके पूर्वजों के द्वारा गणपत पुत्र काना एवं मुखराम पुत्र गणेशाराम से जरिये बैयनामा खरीद करने एवं शेष 22.00 बीधा भूमि आवंटन होने के बाद कुल 32.00 बीधा भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायलान व गैरसायलान का उक्त कथन तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में किसका हक हिस्सा कितना है और राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है या नही प्रार्थना पत्र मे तो यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 3 व गैरसायलान न0 5 ता 10 के पिता मृतक हरलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात रिकार्डेड खातेदार के तौर पर दर्ज है जबकि सायलान उक्त वाद भूमि में किसी भी हैसियत से दर्ज नही है मात्र कथन है कि भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा गैरसायलान के नाम दर्ज किया गया है जबकि प्रस्तुत बैयनामा /आंवटन आदेश के अनुसार भूमि गैरसायलान के नाम से दर्ज होनी प्रतित होती है इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के बजाय गैरसायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

सायलान का कथन है कि वाद भूमि गैरसायलान के नाम से दर्ज है वह कभी भी भूमि का बेचान कर सकता है स्वीकार योग्य नही है गैरसायलान के वाद भूमि काफी समय से बतौर रिकार्डेड खातेदार के रूप में दर्ज चली आ रही है यदि गैरसायलान के द्वारा उक्त भूमि का बेचान करना होता तो वह कभी भी बेचान कर सकते थे गैरसायलान जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के तौर पर दर्ज है जिसे बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है मात्र सायलान का कथन मात्र की वह सायलान के हकों को नुकसान पहुचाने के लिये भूमि का बेचान कर सकते है प्रर्याप्त नही है। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायलान को होगी सायलान को नही । अतः गैरसायलान जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.05.2016 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–पदमपुरा